इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 593] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2011—पौष 9, शक 1933

पशुपालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2011

क्र. एफ 23-57-2010-पैंतीस.—राज्य शासन द्वारा प्रदेश में सैद्धांतिक रूप से परिशिष्ट-एक अनुसार मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. अहिरवार, उपसचिव.

परिशिष्ट—1

मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति

1.0 दृष्टिकोण

गरीबी उन्मूलन हेतु पशुपालकों को स्थाई आजीविका उपलब्ध कराते हुए पशुपालन से अर्जित लाभ का बिना किसी जाति, वर्ग अथवा श्रेणी भेद के समाज के सभी वर्गो में न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना तथा इस प्रकार प्रदेश को पशुधन एवं पशुधन उत्पादों में आत्मनिर्भर करना।

2.0 उद्देश्य

2.1 पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषकों की पशुधन उत्पादन प्रणाली में सहभागिता सुनिश्चित करना ताकि पशुधन उत्पादन में वृद्धि के साथ पशुधन एवं पशुधन उत्पाद में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हों।

2.2 आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर आदान लागत को कम कर पशुपालकों की आय में वृद्धि करना तथा उससे प्राप्त लाभ का सभी स्तरों पर न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना।

2.3 पशुपालन में विस्तार एवं पशुपालकों की कुशलता विकास पर ध्यान केन्द्रित कर सभी प्रकार के आदान एवं सेवाओं में आत्मनिर्भर होना जिससे कि उत्पादन मूल्य कम हो और निवेश को अच्छे गुणवत्ता वाले पशुधन उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सके।

2.4 बिना किसी जाति, धर्म अथवा वर्ग भेद के सभी पशुपालकों की आदान सेवाओं व विपणन सुविधाओं तक पहुँच के समान अवसर सृजित करना।

2.5 समय पर सेवाएं प्रदाय कर पशुधन क्षेत्र में सुरक्षित आजीविका का वातावरण निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित करना।

2.6 पशुधन उत्पादन तंत्र से वातावरण को होने वाले नुकसान के नियंत्रण हेतु, नियम एवं अधिनियम लागू करने के लिये नियमन से संबंधित निकायों को सशक्त किया जाना।

2.7 आणविक खोज के माध्यम से संबंधित तरीकों में सुधार लाकर जन सहभागिता से पशुधन की मौलिक नस्लों की अनुवांशिकी को स्थानीय स्तर पर ही संरक्षित कर उत्कृष्ठ देशी जैव द्रव्य संधारित करना।

2.8 पशुपालको को जमीनी स्तर पर कृषक समूह, उत्पादक कम्पनी एवं इसी प्रकार की अन्य संस्थागत व्यवस्था में संगठित कर सुविधायुक्त बाजार से जोड़ना।

2.9 पशुधन क्षेत्र के विकास एवं आधुनिकीकरण के कारण वातवरण पर होने वाले दुष्प्रभावों का यथोचित समय पर नीतियों में उपयुक्त बदलाव कर शमन करना।

3.0 उद्देश्य प्राप्ति की रणनीति

3.1 विभिन्न कृषि–जलवायु तथा आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश में पशुधन विकास रणनीति एवं कार्यक्रम ''परिस्थिति जन्य'' तथा ''आवश्यकता'' पर आधारित होंगे। संपूर्ण प्रदेश व सभी प्रकार के पशुधन हेतु एक समान रणनीति को नही अपनाए जाने का प्रयास किया जाएगा।

3.2 भारत की ''मिलेनियम डेवेलपमेंट गोल'' के लिये वचनबध्दता तथा इस सत्य को भी ध्यान में रखते हुये कि भारत के अधिकतर पशुपालक छोटे किसान व संसाधन विहीन हैं, ऐसी स्थिति में उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा एवं पशुधन उत्पादन को बढाने में होने वाली कठिनाईयों को दूर कर इन्हे पशुधन उत्पादन की बढी हुई मांग से लाभ दिलाया जाएगा।

3.3 पशुधन विकास कार्यक्रमों में वातावरण पर प्रभाव, समान अवसर, महिलाओं को सीधा लाभ तथा स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण विकास के मुद्दो को संज्ञान में रखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वातावरण पर समग्र प्रभाव धनात्मक हो।

3.4 पशुधन विकास कार्यक्रम व्यापक स्वरूप के होगें तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें सभी संबंधित घटकों का समायोजन हो जैसे कि–

3.4.1 अग्रगामी व पश्चगामी जुड़ाव (लिंक)

3.4.2 पशुओं के प्रजनन, पोषण, स्वास्थ्य आदि के अतिरिक्त दाना–चारे के साधनो का विकास, विस्तार गतिविधियां व किसान प्रशिक्षण।

3.4.3 ऋण सुविधा, सस्था विकास (सहकारी उत्पादक समूह और इस प्रकार की अन्य संस्थाएं)

3.4.4 सार्वजनिक/निजी/किसान/गैर सरकारी संस्था की साझेदारी को प्रोत्साहन।

3.4.5 उत्पादन के पश्चात् के पहलू जैसे संकलन, प्रसंस्करण एवं उत्पादों का विपणन।

3.4.6 वांछित प्रकार एवं गुणवत्ता के उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध करा कर उपभोक्ता की संतुष्टि की सुनिश्चितता।

3.4.7 अन्य विकास कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण विकास, जलग्रहण, फसल सुधार आदि के साथ जुड़ाव।

3.4.8 राज्य के समस्त ग्रामों को निर्धारित समयावधि में कव्हर करने के लिए प्रभाव/क्षमता व पशुधन से संबंधित सेवाओं में सुधार हेतु वैकल्पिक विधियों का विकास।

3.4.9 पशुधन क्षेत्र की उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रति संस्थागत संरचना व प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हुए विभागीय अमले में दक्षता विकसित करना।

4.0 नीतिगत वृत्त–खण्ड

4.1 पशु धन स्वास्थ्य नीतिः क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाए जाएंगे–

4.1.1 वर्तमान अधोसंरचना को सुदृढ़ करते हुए एवं ई–वेट नेटवर्क जैसे नवाचार के माध्यम से राज्य के समस्त ग्रामों के पशुपालको को वृहद् स्तर पर पशुरोगों के निदान, रोकथाम एवं उपचार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

4.1.2 नुकसान को रोकने एवं पशुधन को स्वस्थ्य अवस्था में रखने तथा पशुपालको में पशु स्वास्थ्य के पहलूओं के प्रति जागरूकता विकसित करने के व्यापक प्रयास किए जाएंगें। इस प्रकार पशुधन उत्पादन की संभवानाओं (खाद्य तथा गैर–खाद्य उत्पाद) का पूर्णरूप से दोहन एवं विकास कार्यों का वांछित लाभ प्राप्त किया जाएगा।

4.1.3 नुकसान के कारणों को जानने एवं नवीन पशु–जन्य रोगों से निपटने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

4.1.4 पशुधन को होने वाले प्रचलित रोगों के पूर्वानुमान लगाने, उनके नियंत्रण हेतु उपायों की योजना बनाने, प्राप्त परिणामों का पुनरीक्षण करने एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निगरानी एवं समीक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

4.1.5 ऐसे रोग जो क्षेत्र विशेष में प्रायः प्रचलित रहते हैं यथा–गलघोंटू, चुरका, घटसर्प आदि के नियंत्रण हेतु पशुओं के

टीकाकरण का लगातार व्यापीकरण किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

4.1.6 नवीन संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु नियामक प्रणाली विकसित की जाएगी।

4.1.7 प्रजनन (वीर्य उत्पादन अथवा प्राकृतिक गर्भाधान के लिए नर अथवा मादा पशु) हेतु निर्धारित पद्धति से पशु स्वास्थ्य परीक्षण के बिना पशु उत्प्रेरण व प्रदाय को हतोत्साहित किया जाएगा।

4.1.8 टीका द्रव्यों तथा रोगों के निदान हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता की उनके उत्पादन स्थल से लेकर अंतिम उपयोगिता स्थल तक रैंडम जांच की व्यवस्था स्थापित की जाएगी ।

4.1.9 पशु स्वास्थ्य सुविधा एवं पशुरोग अन्वेषण सुविधाओं हेतु प्रथमतः चलित सेवाओं का प्रावधान किया जाएगा एवं तत्पश्चात् पशुपालकों के द्वार पर व्यावसायिक आदान सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ।

4.1.10 टीका द्रव्यों एवं अन्य जैव उत्पादों के उत्पादन स्थल से पशुपालक के द्वार तक प्रदाय व्यवस्था हेतु शीत श्रृंखला के विकास एवं रख–रखाव को सुदृढ़ किया जाएगा।

4.1.11 पशुधन की उपयोगिता एवं जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के आधार पर रोग प्रबंधन उपायों द्वारा संक्रामक रोगों का नियंत्रण कर रोग–मुक्त क्षेत्र विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे ।

4.1.12 सूचना प्रसार तकनीक का उपयोग करते हुए पशु स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

पशुधन नस्ल सुधार नीतिः कियान्वयन हेतु निम्नलिखित तरीकों के सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा–

4.2.1 पशु प्रजनन कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे पशुधन/कुक्कुट का उत्पादन एवं उपलब्ध कराना है जिनका उत्पादन वर्तमान पशुधन/कुक्कुट की तुलना में अधिक हो एवं जो क्षेत्र विशेष की जलवायु, कृषि पद्धति, बाजार एवं उपलब्ध संसाधनों के

अनुकूल हो तथा किसी भी प्रकार के संकट/खतरे के लिए प्रवृत्त न हो।

4.2.2 एक समान मापदण्ड नही अपनाए जाना तथा राष्ट्रीय एवं वर्तमान प्रादेशिक नीति, स्थानीय प्राथमिकताओं व प्रथा को घ्यान में रखा जाना।

4.2.3 पशु प्रजनन नीति का निर्धारण करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना कि उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ जैव विविधता की स्थिति भी बनी रहे। जैव विविधता से तात्पर्य मात्र उन नस्लों से नहीं है जिनका नामाकरण किया जा चुका है, बल्कि ऐसी स्थानीय अवर्णित नस्लों से भी है जिन्हें अवर्णित मात्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका औपचारिक नामाकरण नहीं हो पाया है। ऐसे पशुधन एवं कुक्कुट के कार्य के स्वरूप एवं उनकी वास्तविक उत्पादन क्षमता का आंकलन करने के पश्चात् ही उनका संकरण करने अथवा अन्य देशी नस्ल से उन्नयन करने बाबत् निर्णय लिया जाना। पशुधन/कुक्कुट की नस्ल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का निर्णय पूर्ण सावधानी के साथ लिया जाना।

4.2.4 प्रजनन हेतु (हिमीकृत वीर्य उत्पादन अथवा प्राकृतिक गर्भाधान हेतु) पशुओं का चयन उनकी वंशावली की जांच के पश्चात् ही किया जाना ताकि चयनित पशु, स्थानीय पशुओं जिनके प्रजनन हेतु इनका उपयोग किया जाना है, की तुलना में श्रेष्ठ हो। इस तरह चयनित पशु निर्धारित स्वास्थ्य मापदंडों के अनुरूप भी होंगे।

4.2.5 पशुपालन विभाग के समस्त प्रजनन प्रक्षेत्र निर्धारित चयन एवं स्वास्थ्य मापदंडों के अनुरूप प्रजनन हेतु पशुधन उत्पादन के लिए योजनाबद्ध प्रजनन कार्यक्रम का पालन करने हेतु प्रयास करना। यह गंभीर प्रयास किए जाना कि प्रजनन प्रक्षेत्रों के पशुओं की उत्पादकता का स्तर प्रचलित मैदानी मापदंडों से अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हों। हिमीकृत वीर्य एवं भ्रूण उत्पादन इकाईयों हेतु निर्धारित गुणवत्ता के मानदंडों को दृढ़तापूर्वक लागू किया जाना।

4.2.6 स्थानीय वर्णित अथवा अवर्णित नस्लों एवं संकर (डेयरी या मांस) पशुओं की उत्पादकता का आंकलन इस हेतु अनुशंसित

प्रकिया का पालन कर किया जाना ताकि प्रजनन के द्वारा उन्नयन, प्रजनन सामग्री का चयन एवं सुधार योग्य गुणों की पहचान हेतु आधार तैयार किया जा सके।

4.2.7 स्थाई प्रगति सुनिश्चित की जाने हेतु प्रजनन योग्य सांडों (संकर पशु एवं भैंस) के चयन हेतु सन्तति परीक्षण कार्यक्रम लागू किया जाना (गुणों का निर्धारण अत्यंत सावधानीपूर्वक एवं उत्पादकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना)।

4.2.8 विभिन्न विकास कार्यक्रमों से प्राप्त परिणामों का आंकलन उन्नत संतति के उत्पादन के आधार पर न किया जाकर उनकी उत्पादकता के आधार पर किया जाना ।

4.2.9 नस्ल सुधार कार्यक्रमों को इस तरह लागू किया जाना कि किसी भी पशुधन/कुक्कुट की अनुवांशिकी पहचान योग्य हो ताकि अनुवांशिक प्रदर्शन का आंकलन किया जा सके एवं आवश्यक सुधारात्मक उपायों को चिन्हित किया जा सके।

4.2.10 यह सुनिश्चित कराया जाना कि राज्य में गाय/भैंसों के कृत्रिम गर्भाधान में संलग्न अशासकीय संस्थाओं(एन.जी.ओ.) के द्वारा निर्धारित प्रजनन नीति का अनुसरण किया जाए। इन संस्थाओं द्वारा किए जा रह कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करने हेतु पशुपालन विभाग द्वारा उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाना।

4.2.11 विदेशी जैव द्रव्य का उपयोग आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित पशुधन प्रक्षेत्रों में किया जाना।

4.2.12 ऐसे क्षेत्रों जहां कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करा पाना संभव न हो, में प्राकृतिक गर्भाधान हेतु श्रेष्ठ जैव द्रव्य वाले सांडों का प्रावधान किया जाना एवं अवर्णित नस्ल के सांडों का सामूहिक बधियाकरण सुनिश्चित किया जाना।

4.3 **विस्तार तथा क्षमता विकासः** कियान्वयन हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाए जाएंगे-

4.3.1 समस्त पशुधन विकास कार्यक्रमों में कृषक प्रशिक्षण एवं योजनाबद्ध सुनियोजित विस्तार कार्य को आवश्यक घटक के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। क्षेत्र विशेष एवं कृषक वर्ग

के आधार पर कृषक सहभागिता के माध्यम से विस्तार की रणनीति योजनाबद्ध की जाएगी।

4.3.2 पशुधन/कुक्कुट की उत्पादकता में वृद्धि एवं उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हेतु पशुपालन संचालनालय में विस्तार एवं सलाहकार प्रणाली का विकास किया जाएगा।

4.3.3 प्रशिक्षण केन्द्रों एवं सूचना प्रसार तकनीक के माध्यम से विस्तार कर्मियों के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

4.3.4 उत्पादक तक सूचना, कौशल एवं तकनीक के प्रचार–प्रसार हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि अद्यतन ज्ञान प्रबंधन की प्रक्रिया को स्थायित्व प्रदान किया जा सके।

4.3.5 अन्य विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण एवं वित्तदायी संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि पशुधन के क्षेत्र में निवेश वृद्धि की जा सके।

4.3.6 योजना एवं क्रियान्वयन में संलग्न शासकीय संस्थाओं तथा कृषक संगठनों के उन्मुखिकरण एवं प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि वे गरीब एवं शोषित परिवारों के उत्थान के लिए कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से करने में सक्षम हो सकें।

4.3.7 विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त सुझावों अथवा संदेशों (जागरूकता में वृद्धि करने, पशु प्रबंधन, प्रौद्योगिकी के अंगीकरण एवं कौशल उन्नयन संबंधी) का पूर्व परीक्षण किया जाएगा ताकि उनकी उपयुक्तता क्षेत्र एवं आवश्यकता की विशिष्टता सुनिश्चित की जा सके।

4.3.8 पशुधन उत्पादन में महिलाओं के योगदान को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं, ग्राहयता एवं उपयुक्तता के दृष्टिगत प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्य की योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। विभागीय कर्मचारियों के लिए जेण्डर सैंसेटाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ।

4.3.9 बीमारियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली पशुधन की क्षतिपूर्ति हेतु पशुधन बीमा योजना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.4 विपणनः निम्नानुसार प्रकियाओं हेतु पहल/का सुदृढ़ीकरण किया जाएगाः

4.4.1 उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति हेतु विभिन्न स्तरों के बाजारों तक पहुंच बनाने की दिशा में पशुपालकों को सूचना, कौशल तथा तकनीक के माध्यम से सशक्त करते हुए विभिन्न स्तरों पर संगठित किया जाएगा ताकि वे आजीविका के लिए पशुपालन के स्थान पर व्यावसायिक पशुपालन की ओर अग्रसर हों।

4.4.2 पशुधन के विक्रय हेतु आवास, पेयजल एवं पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु विपणन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

4.4.3 विपणन की समझ एवं सूचना के उत्पादक तक प्रवाह हेतु उपाय क्रियान्वित किए जाएंगे।

4.4.4 यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि उत्पादक को उपभोक्ता से पशुधन उत्पाद के मूल्य के रूप में मिलने वाली राशि का उचित अंश प्राप्त हो।

4.4.5 विपणन के वैश्वीकरण के मद्देनजर लघु उत्पादकों को उर्ध्वाधर कड़ी से जोड़ने के उद्देश्य से लोक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.5 चारा विकासः चारा विकास हेतु निम्नानुसार प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे–

4.5.1 चरनोई भूमि का युक्तियुक्त ढंग से उपयोग।

4.5.2 वन विभाग से समन्वय कर वन्य उत्पादों की प्राप्ति एवं उपयोग।

4.5.3 पड़त भूमि का चारा उत्पादन क्षेत्र अथवा चरनोई भूमि के रूप में विकास।

4.5.4 फसलों के अवशेषों का दक्षतापूर्वक उपयोग किए जाने हेतु प्रोत्साहन।

4.5.5 पशु एवं कुक्कुट आहार उत्पादन हेतु लोक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहन।

4.5.6 प्रत्येक जिले में चारा बैंक की स्थापना।

4.6 अनुसंधान तथा विकासः अनुसंधान तथा विकास हेतु निम्नानुसार पहल की जाएगी–

4.6.1 नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में विभागीय हस्तक्षेप के दक्षतापुर्वक एवं प्रभावी कियान्वयन हेतु विभागीय अमले व उत्पादक की क्षमता विकास के लिए अनुसंधान–नीति संबंध का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

4.6.2 पशुधन के विकास में सहायक एवं समस्याओं के निदान संबंधी अनुसंधान लिए जाने हेतु पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी एवं सुनियोजित फीड बैक प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

4.6.3 पशुधन संबंधी विषयों की मूलभूत जानकारी उत्पन्न करने से संबंधित शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं सूचना प्रणाली की कमियों को चिन्हित किया जाएगा।

4.7 नियमन एवं मानकीकरणःनिम्नानुसार प्रयास किए जाना सुनिश्चित किया जाएगा–

4.7.1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं संबंधित अन्य प्रावधानों के प्रभावी कियान्वयन से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के नियमन एवं मानकीकरण की दिशा में कार्यवाही।

4.7.2 दुग्ध उत्पादकों को लाभांवित किए जाने हेतु एक गतिमान मूल्य प्रणाली विकसित की जाना।

4.7.3 वांछित गुणवत्ता के दूध उत्पादन हेतु पशुपालक को अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराना ।

4.7.4 अनुपयोगी अवशेष का प्रभावी तथा दक्षतापूर्वक उपयोग हेतु शव प्रबंधन केन्द्रों एवं पशुवध गृहों का आधुनिकीकरण।

4.7.5 विभिन्न प्रकार के पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियामक तंत्र की स्थापना।

4.7.6 पशुधन उत्पादों के मूल्य संवर्धन हेतु विशेष योजनाओं का प्रतिपादन।

4.7.7 दूध एवं दुग्ध पदार्थों, खाद्यान्न एवं पोषक तत्वों के विश्लेषण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली का विकास।

4.8 **डेयरी विकासः** कियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रकियाओं हेतु पहल/का सुदृढ़ीकरण किया जाएगाः

4.8.1 प्राथमिक दुग्ध उत्पादकों के अतिशेष दूध के विकय हेतु विपणन की व्यवस्था विकसित करना।

4.8.2 क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध संघों के पाश्चुरीकृत दूध एवं दुग्ध उत्पादों तथा संतुलित पशु आहार के विपणन की व्यवस्था विकसित करना।

4.8.3 वर्तमान विपणन क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करना ।

4.8.4 प्राथमिक दुग्ध उत्पादकों को न्यायसंगत अंश प्रदाय के उद्देश्य से राज्य के अंदर एवं राज्य से बाहर नए विपणन क्षेत्रों का विस्तार करना।

4.8.5 दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संगठित बाजार के विस्तार हेतु लोक–निजी भागीदारी योजना को प्रोत्साहन देना।

4.8.6 पशुओं की दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने एवं बेहतर पशु स्वास्थ्य के दृष्टिगत खनिज मिश्रण के उत्पादन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उसके विपणन की व्यवस्था करना।

4.8.7 उत्तम गुणवत्ता के दुग्धोत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यकमों का कियान्वयन करना।

4.9 **कुक्कुट विकासः** कियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रकियाओं हेतु पहल/का सुदृढ़ीकरण किया जाएगाः

4.9.1 उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूर्व तकनीकी अमले की परपंरागत पद्धति में क्षमता का विकास करना।

4.9.2 बैंकयार्ड कुक्कुट पालन की सतत संवीक्षा तथा कुक्कुट पालकों की क्षमता विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन विहीन पशुपालकों को होने वाली भारी क्षति से बचाना।

4.9.3 कड़कनाथ प्रजाति को संरक्षित करने हेतु न केवल शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों में उनके पालन पोषण एवं वितरण की व्यवस्था करना बल्कि इसके उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

4.9.4 पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की सहायता से वर्तमान उत्पादकता के आधार पर स्वदेशी मूल की उपयुक्त कुक्कुट नस्लों की पहचान एवं उत्प्रेरण कर भविष्य की मांग की आपूर्ति हेतु ग्रामीण मुर्गीपालन व्यवस्था का विकास करना।

4.9.5 उत्पादन प्रणाली में बिना प्रजनन हस्तक्षेप के भी वैकल्पिक माध्यमों से सुधार करना।

4.9.6 मुक्त परिसर में रखे जाने वाले कुक्कुट के बेहतर विकास एवं उत्पादन हेतु आवश्यक पौष्टिक तत्वों एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कम लागत वाले/वैकल्पिक आहार घटक वाली प्रणाली के प्रति कृषकों में जागरूकता लाना।

4.9.7 अशासकीय संस्थाओं एवं स्व–सहायता समूहों की मदद से ग्रामों में अन्य आदान सेवाओं यथा टीकाकरण, विस्तार कार्य, बीमारियों के प्रति जागरूकता, जैव सुरक्षा, कौशल उन्नयन आदि की व्यवस्था करना।

4.9.8 कुक्कुट को होने वाली नवीन बीमारियों के दृष्टिगत व्यावसायिक मुर्गीपालकों की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु आवश्यक नियमन की व्यवस्था करना।

4.10 **समीक्षा एवं मूल्यांकनः** निम्नानुसार प्रक्रियाओं हेतु पहल/का सुदृढ़ीकरण किया जाएगाः

4.10.1 प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रमों की सतत समीक्षा हेतु प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना।

4.10.2 विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं हस्तक्षेपों के प्रभाव एवं मूल्यांकन का कार्य बाह्य संस्थाओं के माध्यम से कराना।

4.10.3 विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की संवीक्षा एवं आंकलन हेतु जन सहभागिता के माध्यम से एक सामुदायिक सूचना प्रणाली विकसित करना।

4.10.4 पशुपालन संचालनालय में समीक्षा एव मूल्यांकन प्रकोष्ठ की स्थापना।

Bhopal, dated 30th December 2011

No. F-23-57-2010-XXXV.—Government of Madhya Pradesh has take decision in principal to enforce Madhya Pradesh Livestock Development Policy as enclosed in Annexure-1.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
R. R. AHIRWAR, Dy. Secy.

ANNEXURE-I

MADHYA PRADESH LIVESTOCK DEVELOPMENT POLICY

1.0 Vision

To make the State self-reliant in livestock and livestock products, distributing the benefit equitably to all segments of the society cutting across caste, creed and class to promote sustainable livelihoods for the livestock producers and thereby help in poverty reduction.

2.0 Objectives

2.1 To involve farmers in the livestock production system in order to enhance livestock productivity, thereby, enhancing livestock production towards self reliance in livestock and livestock products.

2.2 To increase livestock farmers' income by reducing input cost through use of latest technology as well as distributing the benefit equitably at different levels.

2.3 To be self reliant in provision of all inputs and services in order to reduce production cost and divert this investment towards quality livestock production by focusing on extension and farmer skill development in livestock domain.

2.4 To create equal opportunity for all livestock farmers to access input services and market facilities cutting across all caste, class and creed.

2.5 To promote environment of secured livelihoods in livestock sector providing timely services.

2.6 To empower regulatory bodies to implement Acts and Rules framed to control environmental hazards due to livestock production system.

2.7 To ensure in situ conservation of gene pools of livestock for rectifying related measures through molecular research and propagate superior indigenous livestock germ plasm involving community.

2.8 To organize livestock farmers into farmers' groups, producer companies, and other similar institutional arrangements to help them engage with the markets on an even playing field.

2.9 To mitigate adverse impact of growth and modernization of livestock sector on local ecology through appropriate policy interventions.

3.0 Approach

3.1 Livestock development strategies and programmes will be based on 'Situation specific' and 'Need based' approaches, taking into account variable agro-climatic and socio-economic conditions. Efforts will be made to avoid adoption of a uniform approach for the whole state and all types of livestock

3.2 Keeping in view India's **commitment to 'Millennium Development Goals'** and the fact that majority of livestock owners are smallholder, resource poor families, special attention will be paid to help them overcome constraints faced in improving productivity of livestock and take advantage of the increasing demand for livestock products.

3.3 Livestock development programmes will give **due cognizance to critical development issues** like impact on environment, equity, direct benefit to women and sustainability. Care will be taken that the overall impact on environment is positive.

3.4 **Livestock development programmes will be comprehensive in nature** and it will be ensured that they cover related components like:

3.4.1 Backward and forward linkages

3.4.2 Feed-fodder resource development, extension activities, farmer training, besides Breeding, Feeding, Animal Health etc.

3.4.3 Credit facility, Institution development (Cooperative Producer groups and other such institutions)

3.4.4 Encouragement to public / private / farmer / NGO(Non Government Organization) partnerships

3.4.5 Post-Production aspects like collection, processing and marketing of products

3.4.6 Assuring satisfaction of consumers by making available product of desired type, quality and at reasonable cost.

3.4.7 Link with other development programmes like rural development, watershed, crop improvement etc.

3.4.8 Development of alternate approaches to improve effectiveness / efficiency and accessibility of livestock services so that these cover all the villages in the state in a defined time frame.

3.4.9 Attention will be paid on organizational structure and processes to impart relevant skills to departmental personnel to the emerging needs of the livestock sector.

4.0 Policy Segments

4.1 **Livestock Health Policy:** The following measures will be taken up for implementation -

4.1.1 Exploit the production potential (food and non-food outputs) of livestock and get desired benefit of developmental interventions. Efforts will be made to check losses and maintain livestock in healthy state and to create awareness amongst owners about animal health related aspects.

4.1.2 Making available Disease Diagnostic, Prophylactic and Curative services to combat disease to livestock owners in all the parts of the state on an expanding scale and by strengthening the existing infrastructure and through new initiatives like developing an eVET network.

4.1.3 Special attention will be paid to diagnose cause of losses and to monitor emerging diseases especially those of zoonotic importance.

4.1.4 Surveillance and monitoring of commonly occuring diseases will be organized to forecast occurrence of diseases, plan control measures, monitor results and prepare a status report on livestock health.

4.1.5 For control of disease known to be endemic in some pockets e.g. H.S., B.Q., Anthrax, universal vaccination of animals will be attempted in an ever-growing scale.

4.1.6 Regulatory mechanism will be developed to control and contain new emerging infectious diseases.

4.1.7 Introduction and supply of animals for breeding purposes (male or female for natural service or for semen production) without health check up according to prescribed practices will be discouraged.

4.1.8 To ensure quality a system of random checking of the quality of vaccines and diagnostic agents will be introduced at point of production till point of use.

4.1.9 Provision of animal health coverage and disease investigation facilities will be made mobile and later would give way to professional practices delivering the inputs at the farmers door- step.

4.1.10 Development and maintenance of cold chain for vaccines and biological products for delivery to the farmers' door-step will be strengthened.

4.1.11 Efforts will be made for creating a disease free zone by taking up disease management initiative to control contagious diseases on the basis of severity of the impact on livestock productivity and human health.

4.1.12 Animal health coverage will be provided by using ICT (Information Communication Technology).

4.2 Livestock Breed Improvement Policy: The following measures will be strengthened-

4.2.1 Breeding interventions for livestock aimed at producing and making available livestock /poultry 'that have potential for higher outputs compared to existing ones (depending on preferred functions in an area), niche well with prevailing agro-climatic conditions, farming systems, market and resource conditions in an area and will not be risk prone.

4.2.2 A uniform approach will not be followed. Due consideration to guidelines of National and existing State Policy, local preferences and practices.

4.2.3 Livestock Breeding Policy will be so formulated as to maintain bio-diversity, besides improving productivity. Biodiversity here will not only connote livestock of identified local breeds but also those referred to as non-descript, since in some cases their breed is not formally named. The functions performed and net output of these non-descript livestock and poultry will be assessed before deciding Cross Breeding or Upgrading with other breeds (Exotic or Indigenous). Any change in the type of livestock/poultry will be decided with due care.

4.2.4 Selection of animals for breeding purposes (for frozen Semen production or natural service) will be after due scrutiny of their pedigree so as to select animals superior to base population on which these are to be used. These animals will also conform to prescribed health standards.

4.2.5 All the Breeding Farms of the Animal Husbandry Department will strive to follow a planned breeding programme for producing animals for breeding

purposes as per prescribed selection and health standards. Sincere efforts will be made to ensure that average level of productivity of the animals at farms is better than existing field standards. Quality standards specified for frozen semen and embryo producing units will be strictly applied.

4.2.6 Productivity of the local livestock / poultry of descript or undefined breeds and the crossbreds (dairy or meat) will be assessed, using recommended methodology, to form the base for deciding breeding intervention for improvement, selection of breeding material and to identify characters to be improved.

4.2.7 Progeny Testing Programmes will be initiated for selection of breeding bulls (Crossbred cattle and Buffaloes) to ensure sustained progress (the characters to be tested will be decided with due care – giving due regard to producer's preferences).

4.2.8 Productivity and not the production of improved progeny born out of various development programmes will be the basis to assess the impact.

4.2.9 Breed improvement programmes will be taken up in such a way that genotype of any livestock/poultry will be identifiable in order to assess genetic performance and identifying necessary corrective measures.

4.2.10 The NGOs involved in Artificial Insemination of Cattle/ Buffalo in the state will be required to follow the prescribed breeding policy. A mechanism will be evolved by the Animal Husbandry Department to monitor the work of these agencies from time to time.

4.2.11 Exotic germ plasm will be used in organized farm conditions, if found necessary

4.2.12 Provision of superior germ plasm bull will be made for natural service in areas where access to Artificial Insemination is difficult and mass castration of scrub bulls will be ensured.

4.3 Extension and capacity building: The following measures will be taken up for implementation -

4.3.1 Strategically planned extension and farmer training programmes will be integral components of all the livestock development programmes. Extension strategy will be planned considering nature of the area and type of the farmer through farmers' participation.

4.3.2 An extension and advisory system will be developed within the Directorate of Animal Husbandry to improve productivity as well as quality of livestock / poultry and its products.

4.3.3 Regular training of the extension personnel will be organized at training institutions as well as through ICT interventions.

4.3.4 A mechanism for communicating information, skill and technology to the producer will be developed to sustain the process of updation and management of knowledge.

4.3.5 Convergence with other departments' schemes and flow of the credit from financing institutions will be encouraged to increase investment in the livestock sector.

4.3.6 Government functionaries and farmers' associations involved in planning and execution of these programmes will be oriented and trained to ensure their appropriateness and effectiveness, particularly for resource poor / underprivileged families.

4.3.7 The recommendations, messages (for improving awareness, animal management, technology adoption, skills) conveyed through extensions and training programmes will be pre-tested to ensure appropriateness and situation and need specificity.

4.3.8 Considering crucial role of women in livestock production efforts will be made to plan and implement extension and training according to their needs, perceptions and suitability. A programme of gender sensitization will be arranged for the staff of the department.

4.3.9 Risk coverage through livestock insurance will be promoted against disease and natural calamity.

4.4 Marketing: Measures will be initiated/strengthened as follows-

4.4.1 Livestock farmers will be organized at different levels to develop access to markets at different levels to meet consumer demand by getting equipped with information, skill and technology, thereby, ensuring a shift from subsistence to commercial production.

4.4.2 Market infrastructure will be strengthened for livestock sale providing shelter, drinking water, health care services etc.

4.4.3 Measures to reach market intelligence and information to the producers will be implemented.

4.4.4 Efforts will be made to ensure that producer gets fair share of price paid by consumer for livestock products.

4.4.5 Looking to the market globalization public, private partnership will also be promoted for vertical linkages for small producers.

4.5 Fodder Development: Efforts will be made to ensure-

4.5.1 Proper utilization of available grazing land..

4.5.2 Better coordination with forest department for procurement and utilization of forest produces.

4.5.3 Development of fallow land for either fodder production or as grazing land.

4.5.4 Promotion of utilization of crop residues in an efficient manner.

4.5.5 Promotion of Public Private Partnership to manufacture cattle and poultry feed.

4.5.6 Establishment of Fodder banks for each district

4.6 Research and Development: Following initiative will be taken up-

4.6.1 Research-policy nexus will be strengthened in order to attain objectives of the policies and accordingly capacitate the producers as well as departmental machinery for an efficient and effective execution of interventions.

4.6.2 Development supporting and problem solving research in livestock related aspects will be organized through the University of Veterinary Science by extending funding support and setting a system for planned feedback about problems.

4.6.3 Research to generate basic information on livestock related aspects will also be promoted and gaps in information identified.

4.7 Regulations and Standardization: Efforts will be made to ensure followings-

4.7.1 Implement Milk Regulations/Standardization by effectively administering Food Safety and Standards Act 2006 and also relevant Acts/provisions.

4.7.2 Evolve a dynamic price mechanism for benefiting milk producers.

4.7.3 Educating farmers by short courses and trainings with the latest know how to produce acceptable quality of milk.

4.7.4 Modernizing slaughter houses and carcass management centers, so that all the waste can be utilized effectively and efficiently.

4.7.5 Establishing a regulatory mechanism to ensure the quality of product.

4.7.6 Formulating special schemes for value addition of livestock products.

4.7.7 Facilitating development of systems for analyzing milk & milk products, feed supplement and nutritional supplements to ensure quality.

4.8 Dairy Development: The following measures will be taken up/strengthened for implementation-

4.8.1 Development of market for primary milk producers for their marketable surplus milk.

4.8.2 Development of market for regional Cooperative Milk Unions for liquid pasteurized milk, indigenous milk products and balanced cattle feed.

4.8.3 Strengthening and expansion of existing marketing network.

4.8.4 Tapping of uncovered markets within and outside the State for all the above products in order to ensure equitable share to primary milk producers.

4.8.5 Public Private Partnership in order to expand coverage of organized market for milk and milk product.

4.8.6 Production & supply of mineral mixture to rural areas for enhancement of milk production and better health of animals.

4.8.7 Encouraging practices of clean milk production with an objective to achieve quality improvement.

4.9 Poultry Development: The following measures will be taken up/strengthened for implementation -

4.9.1 Capacity building of technical persons to deal with traditional systems before undertaking advance training programmes.

4.9.2 To check heavy loses faced by resource poor in rural areas through continuous monitoring of the backyard poultry and capacity building of these poultry keepers.

4.9.3 Conservation of "Kadaknath" through not only by its rearing in and distribution from government poultry farms but also by promoting private partners to enhance its production.

4.9.4 Identification & introduction of more promising strains of indigenous origin, suitable germ-plasm developed for rural poultry production based upon existing information of performance & for future needs with the help of Veterinary Science University.

4.9.5 Alternate approach of improving prevailing production system without breeding intervention to. control losses.

4.9.6 Awareness among farmers for nutrient requirement for free range birds and scavenging system with the locally available low-cost /alternate feed ingredients in order to ensure better growth & production of birds.

4.9.7 Other inputs like vaccination, extension support, disease awareness, Bio-security and skilled training with the help of department ,NGOs, and Self Help Groups in the villages.

4.9.8 Framing necessary regulations and programmes at government level in view of newly emerging diseases so as to have a control on the commercial poultry activities.

4.10 Monitoring and Evaluation: Measures will be initiated/strengthened as follows-

4.10.1 Establishing a Management Information System to continuously monitor the programmes at every level.

4.10.2 Evaluating the impact of different developmental programmes as well as interventions conducted through outside agencies also.

4.10.3 Developing a Community Based Information System in order to involve community, too, to monitor and assess the impact of the interventions being made by the department.

4.10.4 Establishing a Monitoring and Evaluation Cell at the Directorate of Animal Husbandry.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.